राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2064/2024

डॉ. मनीष कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.06.2024
आदेश की दिनांक : 05.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य (Radio Diagnosis) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज, उदयपुर किया गया है तथा उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी सहायक आचार्य (Bio Chemistry) के पद पर राजस्थान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान (RUHS) जयपुर में कार्यरत है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के वर्तमान में दो बच्चे हैं जिनकी आयु 2 वर्ष एवं 6 वर्ष है जिनकी देखभाल हेतु परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि सहायक आचार्य (Radio Diagnosis) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज उदयपुर किया गया है, जबकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य (Radio Diagnosis) के कई पद रिक्त हैं। आचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पत्र दिनांक 06.05.2024 व जिसके लिये अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 10.06.2024 प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विभाग में काफी पद रिक्त हैं। अतः अपीलार्थी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य (Radio Diagnosis) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों चिकित्सा विभाग में जयपुर में पदस्थापित हैं और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने पर दोनों का पदस्थापन अलग–अलग जिले में हो गया है। जबकि अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही संभव है। ऐसी स्थिति में रिक्त पदों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एवं विशिष्ट पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां

यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य